The Himachal Pradesh Regulation of Salaries and Allowances of different categories in Certain Exigencies Act, 2020

Act 11 of 2020

Keyword(s):
Salaries and Allowances

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 3 नवम्बर, 2019

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–14/2020–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26–10–2020 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 10) को वर्ष 2020 के अधिनियम संख्यांक 11 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

यशवंत सिंह चोगल,
प्रधान सचिव (विधि)।

———————

हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन अधिनियम, 2020

धाराओं का क्रम

धारा :

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

अध्याय–2
मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 का संशोधन

2. धारा 3 का संशोधन।
3. धारा 4 का संशोधन।

अध्याय–3
हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 का संशोधन

4. धारा 3 का संशोधन।
5. धारा 4 का संशोधन।

अध्याय–4
हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं अधिनियम, 2018 का संशोधन

6. धारा 3 का संशोधन।

अध्याय–5
हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 का संशोधन

7. धारा 3 का संशोधन।
8. धारा 4–ख का संशोधन।

अध्याय–6
प्रकीर्ण

9. बोर्डों या निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राजनैतिक नियुक्तिधारियों आदि के वेतन का कम किया जाना।

10. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

11. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

————————

2020 का अधिनियम संख्यांक 11

हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन अधिनियम, 2020

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 26 अक्तूबर, 2020 को यथाअनुमोदित)

मन्त्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, विधान सभा सदस्यों और राज्य में अन्य उच्चपदस्थों के वेतन और भत्तों आदि को विनियमित करने से सम्बन्धित विधियों का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः––

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 11 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय–2
मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 का संशोधन

2. धारा 3 का संशोधन.––मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:––

''(1क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी मन्त्री को संदेय वेतन को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड–19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

3. धारा 4 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 4 के उपबन्ध को उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:––

''(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी मन्त्री को संदेय सत्कार भत्ते को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड–19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

अध्याय–3
हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 का संशोधन

4. धारा 3 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1–अअ) को (1–आ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:––

''(1–इ) उपधारा (1) और (1–आ) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) और (1–आ) के अधीन अध्यक्ष को संदेय वेतन और सत्कार भत्ते को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड–19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

5. धारा 4 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1–अअ) को (1–आ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:––

''(1–इ) उपधारा (1) और (1–आ) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) और (1–आ) के अधीन उपाध्यक्ष को संदेय वेतन और सत्कार भत्ते को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड–19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

अध्याय–4
हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं अधिनियम, 2018 का संशोधन

6. धारा 3 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक के वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं अधिनियम, 2018 (2018 का 3) की धारा 3 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, किसी मुख्य सचेतक या उप मुख्य सचेतक को संदेय वेतन और सत्कार भत्ते को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड–19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

अध्याय–5
हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 का संशोधन

7. धारा 3 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(1क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को संदेय वेतन को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड–19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

8. धारा 4–ख का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 4–ख की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(1–क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को संदेय निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड–19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।''।

अध्याय–6
प्रकीर्ण

9. बोर्डों या निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राजनैतिक नियुक्तिधारियों आदि के वेतन का कम किया जाना.––(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्डों या निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य राजनैतिक नियुक्तिधारी को संदेय वेतन आदि को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड–19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगाः

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात सरकार के सेवारत अधिकारियों, जो किसी बोर्ड या निगम के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं या स्थानापन्न के रूप में कार्य कर रहे हैं, को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि सरकार, आदेश द्वारा या अवसर की अपेक्षानुसार, जहां तक हो सके, ऐसी कोई बात जो इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हो, कर सकेगी जो इस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती हो। प्रत्येक ऐसा आदेश इस प्रकार प्रभावी होगा मानो ऐसी कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन किए गए समस्त आदेश इनके किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे।

10. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.––इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव डालने वाली किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उनसे असंगत ऐसी किसी बात के होते हुए भी प्रभावशील होंगे।

11. 2020 के अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियाँ.––(1) हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन अध्यादेश, 2020 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH REGULATION OF SALARIES AND ALLOWANCES OF DIFFERENT CATEGORIES IN CERTAIN EXIGENCIES ACT, 2020

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sectons:

CHAPTER-1
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.

CHAPTER-II
AMENDMENT OF THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) ACT, 2000

2. Amendment of section 3.
3. Amendment of section 4.

CHAPTER-III
AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES ACT, 1971

4. Amendment of section 3.
5. Amendment of section 4.

CHAPTER-IV
AMENDMENT OF THE SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER BENEFITS OF THE CHIEF WHIP AND DEPUTY CHIEF WHIP IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF HIMACHAL PRADESH ACT, 2018

6. Amendment of section 3.

CHAPER-V
AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971

7. Amendment of section 3.
8. Amendment of section 4-B.

CHAPTER-VI
MISCELLANEOUS

9. Reduction of salaries of Chairmen, Vice-Chairmen of Boards or Corporations and political appointees etc.
10. Act to have overriding effect.
11. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 1 of 2020 and savings.

Act No. 11 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH REGULATION OF SALARIES AND ALLOWANCES OF DIFFERENT CATEGORIES IN CERTAIN EXIGENCIES ACT, 2020

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 26TH OCTOBER, 2020)

AN

ACT

further to amend the laws relating to the regulation of salaries and allowances etc. of Ministers, Speaker, Deputy Speaker, Chief Whip, Members of the Legislative Assembly and other dignitaries in the State.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follow:—

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Regulation of Salaries and Allowances of different categories in Certain Exigencies Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 11th day of April, 2020.

CHAPTER-II
AMENDMENT OF THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) ACT, 2000

2. Amendment of section 3.—In the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (11 of 2000) (hereinafter in this chapter referred to as the "principal Act"), in section 3, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the salary payable to a Minister under sub-section (1), shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

3. Amendment of section 4.—In the principal Act, the provision of section 4, shall be numbered as sub-section (1) and thereafter, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the sumptuary allowance payable to a Minister under sub-section (1), shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

CHAPTER-III
AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES ACT, 1971

4. Amendment of section 3.—In the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (4 of 1971) (hereinafter in this chapter referred to as the "principal Act"), in section 3, the sub-section (1-AA) shall be renumbered as (1-B) and thereafter, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1-C) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (1-B), the salary and sumptuary allowance payable to the Speaker under sub-section (1) and (1-B), shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

5. Amendment of section 4.—In the principal Act, in section 4, the sub-section (1-AA) shall be renumbered as (1-B) and thereafter, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1-C) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (1-B), the salary and sumptuary allowance payable to the Deputy Speaker under sub-section (1) and (1-B), shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

CHAPTER-IV
AMENDMENT OF THE SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER BENEFITS OF THE CHIEF WHIP AND THE DEPUTY CHIEF WHIP IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF HIMACHAL PRADESH ACT, 2018

6. Amendment of section 3.—In the Salaries, Allowances and other Benefits of the Chief Whip and the Deputy Chief Whip in the Legislative Assembly of Himachal Pradesh Act, 2018 (3 of 2018) in section 3, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2), the salary and sumptuary allowance payable to a Chief Whip or a Deputy Chief Whip, as the case may be, shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

CHAPTER-V
AMENDMENT OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971

7. Amendment of section 3.—In the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (8 of 1971) (hereinafter in this chapter referred to as the "principal Act"), in section 3, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the salary payable to a member under sub-section (1), shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

8. Amendment of section 4-B.—In the principal Act, in section 4-B, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the constituency allowance payable to a member under sub-section (1), shall be reduced by thirty percent for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.".

CHAPTER-VI
MISCELLANEOUS

9. Reduction of salaries of Chairmen, Vice- Chairmen of Boards or Corporations and political appointees etc.—(1) Notwithstanding, anything contained in any other law for the time being in force, the salary etc. payable to a Chairman, Vice-Chairman of a Board or Corporation; or any other political appointee shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic:

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to in service officers of the Government who are appointed or are officiating as a Chairman or a Vice-Chairman of a Board or Corporation:

Provided further that the Government may, by order or as the occasion requires, do anything consistent, so far as may be, with the provisions of this Act, which appear to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty. Every such order shall have effect as if such action had been taken under this Act.

(2) All orders made under this Act shall be laid before the Legislative Assembly as soon as may be, after they are made.

10. Act to have overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

11. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No.1 of 2020 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Regulation of Salaries and Allowances of different categories in Certain Exigencies Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.